ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत न्याग्रां में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार	1.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रजिंदर कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के लेखों अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना।	6.1	04.21
2.	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	7.1	0.73

3.	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।	8.1	0.59
4.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के बिना अनियमित भुगतान करने बारे।	8.2	2.27
5.	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.3	0.11
6.	आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना।	8.4	0.05
7.	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	8.5	0.03

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -02 दिनांक 2-05-2025 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसके संदर्भ में सचिव द्वारा प्रतिउतर दिया गया कि केवल कुछ ही अंकेक्षण पैरों का निपटान किया गया है । इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्त्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	1-3	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है
2.	4	--	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित

3.	4.1, 4.2	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है
4.	5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
5.	6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
6.	7.1	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
7.	7.2	अनिर्णीत	-
8	8.1	अनिर्णीत	-
9	8.2	अनिर्णीत	-
10	8.3	अनिर्णीत	-
11	8.4	अनिर्णीत	-
12	9.1	अनिर्णित	-
13	9.2	अनिर्णीत	-
14	9.3	अनिर्णीत	-
15	9.4	अनिर्णीत	-
16	9.5	अनिर्णीत	-
17	10.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
18	10.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
19.	10.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
20.	10.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
21.	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खंड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02-05-2025 से 12-05-2025 तक ग्राम पंचायत न्याग्रां के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि

लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2024-2025	04/2024	10 /2024

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4000/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या -12 दिनांक 07-05-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत न्याग्रां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत न्याग्रां के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक स्वः-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

स्वः-स्त्रोत व अनुदान :-

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2024-25	1.स्वः-स्त्रोत	3661856	748326	4410182	2210822	2199360
	2.अनुदान	400055	1967312	2367367	1946401	420966

कुल योग ₹2199360+420966=2620326

(ब) ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31-03-2025 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	मद	राशि 31-03-2025
1.	18610101699	HPSCB HOLI	5th SFC/VMJSY/ 14th fc /SF/	2198676
2.	18610105752	HPSCB HOLI	LADP	420966
3.			**Cash in hand**	**684**
		Total		**2620326**

अन्तर (ब-अ) ₹ 2620326-₹ 2620326= ₹ 0

4.2 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारेः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इ- ग्राम स्वराज के अतर्गत संधारित रोकड़ बहियाँ मद/ शीर्ष अनुसार संधारित न करके एक ही शीर्ष / मद में संधारित की जा रही थी जिस कारण उक्त शीर्ष /मद के प्रारम्भिक शेष व अन्त शेष का पता लगाना मुश्किल था तथा किस मद / शीर्ष में कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई व खर्च हुई अंकेक्षण में पता नही लग सका। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई

नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 07-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को मद / शीर्ष अनुसार तैयार किया जाएगा।

अत: भविष्य में उक्त मदों/शीर्षों को अलग अलग दर्शाकर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला , DPO 5th स्टेट व Sfc तथा अन्य प्राप्त अनुदानों को भी पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -10 दिनांक 07-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक :- 07.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में सभा निधि की अधिक्य राशि को सावधि में जमा करवा दिया जाएगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹4.21 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 3**" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2025 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹ **420966.00** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 07.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत न्याग्रां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -10 दिनांक 07-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

6.3 प्राप्त अनुदानों के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 07-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 स्व: स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.73 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संगृहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुकता कर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली नियमानुसार नही की जा रही थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹72785/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2025 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2024-25	74345	372	20	7440	81785	9000	72785

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 07-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप

राजस्व का गैर संगृहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 व्यय :-

8.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.59 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिक्ताएं यथा निविदाएँ, (Tenders), कुटेशन (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत न्याग्रां द्वारा राशि ₹59000/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्र० सं०	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	08-11/18.04.24	SF	SUNNY KUMAR JABBAL HOLI DISTT CHAMBA	STATIONARY	3000
2	25-26/22.10.24	SF	GUJRAT TILES &SANITARY STORE CHAMBA	INTERLOCK TILES	56000
				total	59000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या -07 दिनांक 07-05-2025 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत न्याग्रां के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को भी यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के राशि ₹2.27 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन (आर डी एवं पी आर) डी बी जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30. दिनाक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹226628** आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित विवरण अनुसार **₹226628** का अनियमित भुगतान किया गया।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	23/07.05.24	SF	RAJESH KUMAR GOVT CONT.PO NAYAGRAN	STONE	36672
2	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	AGGRIGATE	48727.8
3	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	SAND	24362.4

4	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	AGGRIGATE	48727.8
5	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	SAND	23470.5
6	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	AGGRIGATE	44667.15
				TOTAL	**226627.7**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः -06 दिनांक 07.05.25 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.11 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान तथा सेवा पर 18 % GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹226628/- का भुगतान किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान/साक्ष्य अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹ 10792/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)	अपेक्षित भुगतान	GST के रूप में हानि
1	23/07.05.24	SF	RAJESH KUMAR GOVT CONT.PO NAYAGRAN	STONE	36672	34925.71	1746.29
2	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	AGGRIGATE	48727.8	46407.43	2320.37
3	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	SAND	24362.4	23202.29	1160.11
4	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	AGGRIGATE	48727.8	46407.43	2320.37
5	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	SAND	23470.5	22352.86	1117.64
6	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	AGGRIGATE	44667.15	42540.14	2127.01
				TOTAL	226627.7	215835.9	10791.79

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 07-05-2025 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया।

यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.05 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)	सरकार को GST TDS की हानि (2%)
1.	23/07.05.24	SF	RAJESH KUMAR GOVT CONT.PO NAYAGRAN	STONE	36672	733.4
2.	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	AGGRIGATE	48727.8	974.5
3.	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	SAND	24362.4	487.2
4.	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	AGGRIGATE	48727.8	974.5
5.	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	SAND	23470.5	469.4
6.	02/23.08.2024	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT.CONTRACTOR	AGGRIGATE	44667.15	893.3
				TOTAL	**226627.7**	**4532.3**

परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹226628 का भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर ₹4532 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

इस बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -10 दिनांक 07-05-2025 के संदर्भ में सचिव द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया जोकि कर्मचारी की उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अत :उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त जीएसटी टीडीएस की कटौती की राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8.5 सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹0.03 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी।

क्र० सं	**वाउचर संख्या /दिनांक**	**निधि का नाम**	**विवरण**	**मद का विवरण**	**राशि (₹)**
	08-11/18.04.24	SF	SUNNY KUMAR JABBAL HOLI DISTT CHAMBA	STATIONARY	**3000**
				TOTAL	**3000**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -08 दिनांक 07-05-2025 द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा प्रतिउतर दिया गया कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा।

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाए और भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9 विविध अनियमितताएं :-

9.1 बिल वाउचर के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत न्याग्रां के लेखों के नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिल/वाउचर का भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 07.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतिउतर अंकेक्षण को नही दिया गया

अत: उक्त किये गये व्यय को नियमित करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

09.2 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	---------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
9.	Mnrega FTO , व वेंडर लिस्ट व BPL रजिस्टर, कार्रवाई रजिस्टर अपूर्ण		

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10, दिनांक 07.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

09.3 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान, इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नही क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10, दिनांक :-07-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

12. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

22.7.25

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

फा०/प०

4613 - 4617

22 JUL 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच(पंच) 15(7)143/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि०प्र०।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 JUL 2025

22.7.25

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

फा/प०

परिशिष्ट-1 पैरा संख्या 4(अ) 1 के सन्दर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o	' GP NAYAGRAN " Dev. Block Bharmour				Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2024-25	3661856	748326	4410182	2210822	2199360

प्रधान
ग्राम पंचायत न्याग्रां
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट-2 पैरा संख्या 4(अ) के संदर्भ में

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP Nayagran D.B Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2024-25	**400055**	**1967312**	**2367367**	**1946401**	**420966**

प्रधान
ग्राम पंचायत न्यागरां
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

21

परिशिष्ट-3 पैरा संख्या 6.1 के संदर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		' GP NAYAGRAN "	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP-176326	Year Ended	2024-25
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	LADP	400055	262306	662361	241395	420966
2	MNREGA	0	1705006	1705006	1705006	0
	Total	400055	1967312	2367367	1946401	420966
	Balane As Per Cash Book					
1	Balance on 31.03.2025	(Own Source)				2199360
2	Balance on 31.03.2025	LADP				420966
3	Balance on 31.03.2025	MNREGA				0
				Total		2620326
	Balance as per Bank					
	A/c No	Branch	Head			
1	18610101699,	HPSCB HOLI	5TH SFC/VMJSY/ 14thfc /SF/			2198676
2	18610105752,	HPSCB HOLI	LADP			420966
		Cash In Hand				684
	Total					2620326
				Diffrence		0
	4.Mnrega cash book not produced so income and expenditure taken from mnrega financial position					

प्रधान
ग्राम पंचायत न्यायाँ
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)